परिशिष्ट "अ"

[22/7/2019]

प्रश्न सं. [क्र. 2444]

डॉ. आशा उपवंशी वासेवार, प्रभारी उप संचालक उद्यान, बैतूल को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के नियम 16 के अंतर्गत जारी कारण बताओ सूचना पत्र के बचाव उत्तर पर कार्यवाही का विवरण

डॉ. आशा उपवंशी वासेवार, को जारी कारण बताओ सूचना पत्र के तथ्य	डॉ. आशा उपवंशी वासेवार द्वारा प्रस्तुत बचाव उत्तर के तथ्य
जिलाध्यक्ष, म.प्र. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं कर्मचारी संघ का पत्र कमांक–341 दिनांक 28.10.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा बैतूल जिले में स्थानांतरण नीति 2017–18 में दर्शित नियमों के विरूद्व कर्मचारियों के स्थानांतरण किये गये हैं। विवरण इस प्रकार है :– 1. कुल कार्यरत 20 ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों के स्थानांतरण किये गये एवं 10 उद्यान विकास अधिकारियों के विरूद्व 03 उद्यान विकास अधिकारियों के स्थानांतरण किये गये तो स्थानांतरण प्रतिशत में मान से 45 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत होता है जो कि स्थानांतरण नीति की कंडिका 6.1 का उल्लंघन है।	1. दिनांक 30.05.2017 को कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय एपीसी बैठक में किसान संघ द्वारा दिये गये ज्ञापन अनुसार विभाग में एक ही स्थान पर अधिक समय से पदस्थ अधिकारी व कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु प्राप्त प्रस्ताव के परिपालन में कलेक्टर महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल के माध्यम से कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत की गई थी। माननीय मंत्री जी के अनुमोदन उपरान्त मुख्यालय परिवर्तन के निर्देशानुसार जिले में कार्य व्यवस्था बनाये जाने हेतु अधिकारियों/ कर्मचारियों के मुख्यालय परिवर्तन किये गये हैं। उपरोक्त आदेश द्वारा कंडिका कमांक 6.1 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
2. उद्यान विकास अधिकारी एवं ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी राज्य स्तरीय संवर्ग के हैं इनके स्थानांतरण के अधिकार विभागाध्यक्ष को हैं, न कि जिला अधिकारी को, अतएव अपने वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियों का अतिक्रमण करते हुए स्थानांतरण नीति की कंडिका 4 एवं 5 का उल्लंघन किया है।	2. स्थानांतरण नीति की कंडिका कमांक–4 अनुसार जिला स्तर के संवर्ग के कर्मचारियों के अंतरा जिला स्थानांतरण एवं कंडिका कमांक–5 में राज्य स्तरीय प्रथम/द्वितीय/तृतीय श्रेणी अधिकारियों/कर्मचारियों के अंतर जिला स्थानांतरण हेतु निर्देश दिये गये है। किसान संघ द्वारा दिये गये ज्ञापन में उल्लेखित बिन्दुओं पर माननीय प्रभारी मंत्रीजी के अनुमोदन उपरान्त कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार कार्या. आदेश क/उ./स्था./स्थानां/17–18/3941–3942 दिनांक 10.07.2017 एवं कार्यालयीन आदेश क./उ./स्था/स्थानां/17– 18/7020–7021 दिनांक 06.12.2017 के द्वारा मुख्यालय परिवर्तन किये गये हैं। अतः कंडिका कमांक 4 व 5 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
3. श्री प्रताप धुर्वे, उद्यान विकास अधिकारी, शासकीय उद्यान बैतूल बाजार को कार्यालय वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी विकास खंड बैतूल में स्थानांतरित किया गया जबकि वहा दिनांक (10.07.2017) तक पद रिक्त नहीं था। अतः बगैर पद रिक्त के स्थानांतरण करना स्थानांतरण नीति की कंडिका 8.23 का उल्लंघन है।	3. श्री प्रतापसिंह धुर्वे पूर्व से ही विकास खण्ड बैतूल की नर्सरी शासकीय उद्यान बैतूल बाजार में पदस्थ थे। जिला मुख्यालय का विकासखण्ड होने के कारण कार्य की अधिकता को देखते हुये श्री प्रतापसिंह धुर्वे को नर्सरी से फील्ड में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया। चूँकि न तो इनका विकासखंड बदला और ना ही वेतनमद, अभी भी वेतन पूर्वानुसार ही आहरित हो रहा है। अतः स्थानांतरण नीति की कंडिका 8.23 का उल्लंघन नहीं है।
4. संचालनालय के आदेश कमांक/स्था/अ–1 / स्था/2016–17/287 दिनांक 16.7.2017 द्वारा डॉ. सत्येन्द्र नरवरिया, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को प्रशासनिक आधार पर संचालनालय में पदस्थ किया गया था, परन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक भारमुक्त नहीं किया गया क्यों?	4. पूर्व में उल्लेखित कार्य में आ रही कठिनाईयों एवं जिले में रिक्त तकनीकी पदों को देखते हुये कलेक्टर महोदय द्वारा आपसे दूरभाष पर हुई चर्चानुसार प्रशासनिक स्तर पर किये गये स्थानांतरित अधिकारी को भारमुक्त न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसकी पुष्टि कलेक्टर महोदय से की जा सकती है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संबंधित शाखा के वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में आपसे समक्ष में की गई चर्चा के दौरान आपकी सहमति एवं आपके द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ही डॉ. सत्येन्द्र सिंह नरवरिया, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को भारमुक्त नहीं किया गया।

Dr. asha upvanshi vasewar

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग